भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

28.04.2016 को राज्य सभा में

पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 481

काकरापार नाभिकीय विद्युत केन्द्र में रिसाव

481. श्री डी. राजा:
डा. के.पी. रामालिंगम:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल ही में काकरापार परमाणु ऊर्जा केन्द्र में नाभिकीय रिएक्टर में रिसाव हुआ है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड ने उक्त रिसाव को नाभिकीय दुर्घटना की गंभीरता का अनुमान लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग किए जाने वाले सात सोपानों में से निम्नतम अथवा स्तर-I तौर पर वर्गीकृत किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस घटना की कोई जांच की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) जी, हॉ । दिनांक 11 मार्च, 2016 को, काकरापार परमाणु बिजलीघर (केएपीएस) यूनिट-1 के रिएक्टर भवन के संरोधन (कंटेनमेंट) के अंदर उसकी शीतलन प्रणाली से भारी पानी के रिसाव की एक घटना घटित हुई है । इस घटना के बाद रिएक्टर स्वत: शटडाउन हो गया था ।

(ख) जी, हॉ। काकरापार परमाणु बिजलीघर यूनिट-1 की घटना को, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) द्वारा बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नाभिकीय एवं विकिरणकीय घटना पैमाना (आईएनईएस) के आधार पर, अनंतिम रूप से, स्तर-1 के रूप में निर्धारित किया गया, जो संयंत्र में विसंगति के समरूप है, क्योंकि इस घटना से पर्यावरण में किसी रेडियोसक्रिय सामग्री का उत्सर्जन नहीं हुआ और कामगारों को इसका उदभासन प्राप्त नहीं हुआ, तथा सभी अभिकल्पित संरक्षा कार्य उपलब्ध थे। काकरापार परमाणु बिजलीघर की इस घटना की जांच की जा रही है, जिसके परिणाम के आधार पर घटना की कोटि का निर्धारण किया जाएगा।

(ग) जी, हॉ। रिसाव के कारणों का पता लगाने का कार्य न्यूक्लियर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) तथा परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) द्वारा हाथ में लिया गया है। विद्यमान पद्धति के अनुसार, अन्वेषण से मिलने वाली सीखें तथा संस्तुतियाँ उपयुक्त रूप से लागू की जाएँगी।

******